न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 112/2019 – निगरानी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. सांवर पुत्र भंवरदास वैष्णव निवासी–बागड़ी खेड़ा ग्राम पंचायत बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत बैरा पं.सं. बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये संरपच ग्राम पंचायत बैरा पं.सं. बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत बैरा पं.सं. बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव ग्राम पंचायत बैरा पं.सं. बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा अधिनियम 97 राजस्थान पंचायती राज 1994 निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बैरा पंचायत समिति बनेड़ा तहसील बनेड़ा पट्टा संख्या 27 मिसल संख्या 133 दिनांक 20.04.2017 आदेश दिनांकित 29.06. 2017

उपस्थित –

1. श्री राजू डीडवानिया अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. विपक्षी सं. 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 29.08.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष ग्राम बागड़ी खेड़ा मे एक भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टा गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से पट्टा जारी कर किया, जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 ने दिनांक 20.04.2017 को पुश्तैनी मकान का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन किया गया, गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा मिसल संख्या 133 दिनांक 20.04.2017 कायम कर प्रार्थी को निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है, जिसमे नियमों की अनदेखी कर पटवार हल्का से जांच रिपोर्ट लिये बगेर सार्वजनिक परियोजनार्थ आरक्षित आराजी नम्बर 1365 भूमि जो कि आबादी भूमि नही है, जिसमे जारी

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा